TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES.

New Delhi, dated the 14-9-83

NOTIFICATION

No. 5386 (F.No. 261/18/83-ITJ): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in Column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed in Income-tax and Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof excluding all persons and incomes assessed to Income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioner of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

S.No.	Ranges	Income-tax Circle, Wards, Districts
1.	2.	3.
1.	Appellate Assistant Commissioner, Lucknow Range, Lucknow	1. Circle I, Lucknow 2. Circle II, Lucknow 3. Central Circles I, II & III, Lucknow 4. Estate Duty-cum-Incometax Circle(s) 5. Lucknow Circle, Lucknow as per CIT's jurisdiction order dated 30-4-81 (F.No.81(c)(GL)/10/78-Tech. excluding Ward I & Ward II, Lucknow Circle, Lucknow. 6. Lucknow Circle, Lucknow 7. Barabanki 8. Raebareli 9. Unnao
2.	Appellate Assistant Commissioner Bareilly Range-A Bareilly.	1. Bareilly Circle, Bareilly 2. I.T. Office, Haldwani 3. C-Ward, Cir. II, Moradabad with Hqrs. at Bareilly
3.	Appellate Assistant Commissioner, Bareilly Range-B Bareilly	1. Central Circle, Bareilly 2. Nainital 3. Pilibhit 4. Budaun 5. I.T. Office, A-Ward & B-Ward, Shahjahanpur.

1.	2.	3.
4.	Appellate Assistant Commissioner Sitapur Range, Sitapur.	1. Sitapur 2. Lakhimpur Kheri 3. Hardoi 4. Salary Circle, Lucknow 5. Wards I & II of Lucknow Circle, Lucknow.
5.	Appellate Assistant Commissioner, Moradabad Range, Moradabad	1. Circle I, Moradabad 2. Circle II, Moradabad excluding C-Ward, Circle II, Moradabad with Headquarters at Bareilly. 3. Pithoragarh 4. Rampur 5. Chandausi
6.	Appellate Assistant Commissioner Najibabad Range, Najibabad.	1. Najibabad 2. Bijnor 3. Sambhal 4. Almora 5. Kashipur

Whereas an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that Incometax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-9-1983.

(K.M. SULTAN)
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:-

1. The Commissioner of Income-tax, Lucknow
2. The Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay.
3. ADI (RS & P) Bulletin, New Delhi
4. E.O. Section/Ad. VI Section
5. Joint Secretary & Legal Adviser, Ministry of Law, Shastri Bhavan, New Delhi.

(K.M. SULTAN)

भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ।

भारत सरकार

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 14-9-83

अधिसूचना

सं0 5336 (फा0सं0 261/18/83-आ0क0न्या0): आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बोर्ड को अधिकार देने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में पिछली सभी अधिसूचनाओं का अधिलंघन करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, एतद्द्वारा, निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त आयकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय को छोड़कर, जिन पर अधिकारिता आयकर आयुक्त (अपील) में निहित है, अनुसूची के स्तम्भ 3 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमंडलों, वार्डों और जिलों में आयकर तथा अतिकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।

अनुसूची

क्र0सं0	रेंज	आयकर परिमंडल, वार्ड, जिले
1	2	3
1.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, लखनऊ रेंज, लखनऊ।	1. परिमंडल - I, लखनऊ 2. परिमंडल-II, लखनऊ 3. केन्द्रीय परिमंडल, I, II और III, लखनऊ 4. सम्पदा शुल्क एवं आयकर परिमंडल 5. वार्ड I और वार्ड II को छोड़कर,

(कृ0पृ0उ0)

1	2	3
		5. लखनऊ परिमंडल, लखनऊ के वार्ड I और वार्ड II को छोड़कर लखनऊ परिमंडल, लखनऊ आयकर आयुक्त के क्षेत्राधिकार आदेश दि0 30-4-81 (फा0सं0 8 I(सी) जी0एल0)/10/78-तकनीकी) के अनुसार 6. लखनऊ परिमंडल, लखनऊ 7. बाराबंकी 8. रायबरेली 9. उन्नाव
	2. अपीलीय सहायक आयुक्त, बरेली रेंज-क, बरेली ।	1. बरेली परिमंडल, बरेली 2. आ0क0कार्यालय, [redacted] हल्दवानी 3. ग-वार्ड, परिमंडल II, मुरादाबाद बरेली बरेली मुख्यालय सहित
	3. अपीलीय सहायक आयुक्त, बरेली रेंज-ख, बरेली ।	1. केन्द्रीय परिमंडल, बरेली 2 नैनीताल 3. पीलीभीत 4. बदायूँ 5. आ0क0 कार्यालय, क-वार्ड और ख-वार्ड, शाहजहाँपुर ।
	4. अपीलीय सहायक आयुक्त, सीतापुर रेंज, सीतापुर ।	1. सीतापुर 2. लखिमपुर खीरी 3. हरदोई 4. वेतन परिमंडल, लखनऊ 5. लखनऊ परिमंडल लखनऊ के वार्ड-I और II

1	2	3
5.	अपीलीय सहायक आयुक्त, मुरादाबाद रेंज, मुरादाबाद ।	1. परिमंडल I, मुरादाबाद 2. परिमंडल II, मुरादाबाद (बरेली मुख्यालय सहित गन्वार्ड, परिमंडल II, मुरादाबाद को छोड़कर) 3. पिथौरागढ़ 4. रामपुर 5. चंदौसी
6.	अपीलीय सहायक आयुक्त, नजीबाबाद रेंज, नजीबाबाद ।	1. नजीबाबाद 2. बिजनौर 3. सम्भल 4. अल्मोड़ा 5. काशीपुर

यतः कोई आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अंतरित कर दिया जाता है, उस आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिले अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल - पूर्व रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार-क्षेत्र से उस आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो , इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अंतरित की जायेंगी और उसके द्वारा निपटायी जायेंगी, जिसके अधिकार-क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो ।

यह अधिसूचना 1-9-1983 से लागू होगी ।

(के० एम० सुल्तान)
अवर सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार, प्रेस,
मायापुरी, नई दिल्ली ।

*शर्मा *